UPAG010025102026

न्यायालय– विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी एक्ट), आगरा।

उपस्थित : शिव कुमार-II, एच0जे0एस0–UP06100

दाण्डिक प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र सं0–197/2026

राजेश कुमार ——— प्रार्थी

बनाम

राजकुमार व अन्य ——— विपक्षीगण

थाना– बाह, जिला आगरा।

दिनांक 06.06.2026

1– पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

2– प्रार्थी राजेश कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. में संक्षेप में कथन किया गया है कि प्रार्थी राजेश कुमार पुत्र रामलाल निवासी– सिकरवार डांढा बटेश्वर, थाना बाह, जिला आगरा का निवासी है तथा प्रार्थी अनुसूचित जाति चमार जाति का सदस्य है। दिनांक 07.09.2025 समय करीब 6.30 बजे शाम पंजाया बटेश्वर मोहल्ला में प्रार्थी व उसका पुत्र अवनीश यमुना नदी में बाढ आने के कारण ट्रेक्टर व टैम्पू में घर से सामान लाकर लोड कर रहे थे, जिसे साइड पर ले जाना था, तभी राजकुमार पुत्र पूरन सिंह व धर्मवीर, वीटू, मलखान पुत्रगण पूरन सिंह, सुमित पुत्र गुडडू चंद्रवंशी, निवासीगण– मौहल्ला पंजाया बटेश्वर, जो कि निषाद जाति के हैं, तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के नहीं है, ने कहा कि ट्रेक्टर को अभी यहाँ से ले जा, तेरी हिम्मत कैसे हुयी हमारे घर के सामने रोड पर ट्रेक्टर व टैम्पू खडा करने की, इस पर प्रार्थी ने कहा कि इस टैम्पू में थोडा सा सामान बचा हुआ है, इसको खाली हो जाने पर ले जाऊगां। इन लोगों के कहने पर अनिल, विजय सिंह, टीटू, मलखान, धर्मवीर व महिलायें आ गयीं और प्रार्थी व उसके पुत्र के साथ जातिसूचक शब्द डेढ चमार कहते हुये सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हुये व गाली गलौज करते हुये कि चमार तेरी इस मौहल्ले में आने की हिम्मत कैसे हुयी, लाठी–डण्डों व लात–घूसों से मारना पीटना शुरू कर दिया। प्रार्थी जान

बचाकर भागा तो राजकुमार ने पकडकर धर्मवीर ने प्रार्थी के पुत्र अवनीश के सिर पर जान से मारने की नीयत से फरसा मारा, जिससे अवनीश बाल–बाल बचा तथा सिर से खून बहने लगा, अन्यथा प्रार्थी के पुत्र अवनीश की मृत्यु हो जाती। झगडे की खबर सुनकर आस–पडोस के लोग आ गये, तब प्रार्थी को बमुश्किल बचाया। प्रार्थी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने गया, जहाँ पर अवनीश का मेडिकल परीक्षण पुलिस के द्वारा कराया गया तथा प्रार्थी के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु लिखित प्रार्थनापत्र दिया गया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। प्रार्थी ने उक्त घटना की सूचना थाना बाह, आगरा पर की, लेकिन थाना पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर एक प्रार्थनापत्र श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, आगरा व अन्य उच्चाधिकारियों को शिकायती प्रार्थनापत्र प्रेषित किया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः थाना बाह, जिला आगरा पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने हेतु आदेश पारित करने की याचना की गयी।

3– प्रार्थी की ओर से अपने कथन के समर्थन में स्वयं के शपथपत्र, स्वयं के जाति प्रमाणपत्र व आधरकार्ड की छायाप्रति, श्रीमान् पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट आगरा को प्रेषित प्रार्थनापत्र व डाक रसीद की छायाप्रति, चिकित्सीय प्रपत्रों की छायाप्रति, थाना बाह कमिश्नरेट आगरा की रिपोर्ट प्रस्तुत किये गये हैं।

4– सम्बन्धित थाने से आख्या तलब की गई। थाना बाह, कमिश्नरेट, आगरा की आख्या में कहा गया है कि उक्त घटना के संबंध में थाना हाजा पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

5– मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया।

6– प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट करने, गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने, हत्या करने का प्रयत्न करने तथा यह जानते हुए कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है, को दृष्टिगोचर स्थान पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का कथन किया गया है।

7– प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में घटना के बावत जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उनके संबंध में प्रार्थी को सारे तथ्य ज्ञात हैं तथा घटना के संबंध में पूर्ण जानकारी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में किए गए कथनों को परिवाद के माध्यम से भी सिद्ध किया जा सकता है। इस बिन्दु पर निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओं

का परिशीलन किया गया–**सुखवासी प्रति उ0प्र0राज्य 2008(1) जे0आई0सी0 (इलाहाबाद खण्डपीठ),रामबाबू बनाम स्टेट 2001 (2) जे0आई0सी0 231 (पूर्ण पीठ), नाथूराम बनाम स्टेट 2008 (61) ए0सी0सी0 792, श्रीमती नींव देवी बनाम स्टेट 2010 (1) जे0आई0सी0 895 व नवल किशोर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2012 (2) जे0आई0सी0 342** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र पर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए उसे परिवाद के रूप में दर्ज करता है तो इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है।

8– अतएव उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित सिद्धान्त व मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के विचार में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में दर्ज किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी राजेश कुमार के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाए।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अर्न्तगत धारा 223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 06.07.2026 को पेश हो।

(**शिव कुमार-II**)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी. एक्ट),
आगरा।

Digitally signed by Shiv Kumar II
Date: 2026.06.09 13:34:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court